प्रेस को सूचना नोट (प्रेस विज्ञप्ति संख्या 02/2023)

तत्काल प्रकाशन के लिए

भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण

भादूविप्रा ने "डीटीएच सेवाओं के लाइसेंस शुल्क और नीतिगत मामलों" पर परामर्श पत्र जारी किया

नई दिल्ली, 13 जनवरी 2023 - भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (भादूविप्रा) ने आज "डीटीएच सेवाओं के लाइसेंस शुल्क और नीतिगत मामलों" पर एक परामर्श पत्र (सीपी) जारी किया है।

2. लाइसेंस शुल्क एक गैर-कर शुल्क है जो एक सेवा प्रदाता पर लाइसेंस प्राप्त गतिविधि करने की अनुमति के विशेषाधिकार के विरुद्ध लगाया जाता है। भारत में, वर्तमान में, डीटीएच ऑपरेटरों को सूचना एवं और प्रसारण मंत्रालय (एमआईबी) को तिमाही आधार पर समायोजित सकल राजस्व (एजीआर) का 8% लाइसेंस शुल्क का भुगतान करना आवश्यक है, जहां एजीआर की गणना सकल राजस्व (जीआर) से माल एवं सेवा कर (जीएसटी) को हटाकर की जाती है।

3. दूरसंचार विभाग (डीओटी) ने 25 अक्टूबर 2021 को एजीआर के लिए एकीकृत लाइसेंस (यूएल) समझौते में संशोधन किया। संशोधन के अनुसार, लागू सकल राजस्व (एपीजीआर) की गणना जीआर से कुछ राजस्व घटकों को घटाकर होगी। आगे, एजीआर की गणना एपीजीआर से कुछ घटकों को हटाकर की जाएगी।

4. आगे, मौजूदा डीटीएच दिशानिर्देश पहली दो तिमाहियों के लिए 5 करोड़ रुपये की बैंक गारंटी (बीजी), तथा, उसके पश्चात, देय अनुमानित राशि के समतुल्य राशि के लिए, दो तिमाहियों के लाइसेंस शुल्क के बराबर और अन्य देय राशि जो अन्यथा प्रतिभूतिकृत नहीं है निर्धारित करते हैं। साथ ही, दिनांक 06 अक्टूबर 2021 के यूएल समझौते में संशोधन द्वारा बैंक गारंटी के युक्तिकरण के लिए दूरसंचार विभाग द्वारा कुछ संशोधन किए गए थे।

5. इस पृष्ठभूमि के साथ, एमआईबी ने दिनांक 02 फरवरी 2022 को भादूविप्रा को एक संदर्भ भेजा है, जिसमें भादूविप्रा से नीतिगत दृष्टिकोण से निम्नलिखित मुद्दों की जांच करने तथा भादूविप्रा अधिनियम, 1997 की धारा 11(1)(ए) के तहत अपनी अपनी अनुशंसाए प्रस्तुत करने का अनुरोध किया गया है:

i. डीटीएच लाइसेंस शुल्क से संबंधित सकल राजस्व की परिभाषा से गैर-लाइसेंस गतिविधियों को बाहर करने का मुद्दा जैसा कि दूरसंचार विभाग (डीओटी) द्वारा हाल ही में किए गए संशोधनों के मामले में और/या लाइसेंस शुल्क लगाने के लिए किसी अन्य आधार की पहचान के मामले में। तदनुसार, जीआर/एजीआर मानदंड के अनुसार डीटीएच क्षेत्र में फॉर्म-डी का प्रारूप भी प्रदान किया जा सकता है;

ii. दूरसंचार विभाग (डीओटी) द्वारा किए गए हालिया संशोधनों के मामले में निजी डीटीएच सेवाओं के संबंध में बैंक गारंटी (बीजी) का प्रतिशत/राशि; तथा

iii. सभी डिस्ट्रीब्यूशन प्लेटफॉर्म ऑपरेटरों (डीपीओ) के संबंध में एक समान लाइसेंस शुल्क (लेवल प्लेइंग फील्ड) जारी करना।

6. तदनुसार, भुगतान किए जाने वाले लाइसेंस शुल्क और डीटीएच ऑपरेटरों द्वारा प्रस्तुत की जाने वाली बैंक गारंटी से संबंधित मुद्दों पर हितधारकों की टिप्पणियों/विचारों को प्राप्त करने के लिए परामर्श पत्र तैयार किया गया है। हितधारकों से परामर्श पत्र पर लिखित टिप्पणियां 13th फरवरी 2023 तक आमंत्रित की जाती हैं। प्रति-टिप्पणियां, यदि कोई हों, तो 27th फरवरी 2023 तक प्रस्तुत की जा सकती हैं। टिप्पणियों और प्रति-टिप्पणियों को, अधिमानतः इलेक्ट्रॉनिक रूप में ईमेल:- advbcs-2@trai.gov.in और jtadvisor-bcs@trai.gov.in पर भेजा जा सकता है।

7. किसी भी स्पष्टीकरण/जानकारी के लिए, श्री अनिल कुमार भारद्वाज, सलाहकार (बी एंड सीएस) से दूरभाष सं.: +91-11-23237922 पर संपर्क किया जा सकता है।

8. परामर्श पत्र का पूरा पाठ भादूविप्रा की वेबसाइट www.trai.gov.in पर उपलब्ध है।

(राजीव सिन्हा) 13/01/2023
सचिव प्रभारी, भादूविप्रा